

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 775/2015
संस्थित दिनांक 29.12.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़, जिला बड़वानी, मप्र

- **अभियोगी**

वि रू द्ध

संतोष पिता बट्टी देवड़ा जाति सिर्वी
उम्र 45 वर्ष, निवसी ग्राम हरिबड,
थाना अंजड़, जिला बड़वानी

- **अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्तगण द्वारा अभिभाषक - श्री एल.के.जैन

-: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 24-11-2016 को घोषित)

01- पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 250/2015 के आधार पर अभियुक्त संतोष के विरुद्ध दिनांक 02.11.2015 को दिन में 2:30 बजे ग्राम कृषि उपज मण्डी, अंजड़ में लोक स्थान पर फरियादी महेन्द्रसिंह स.उ.नि., अनिल भुरिया मण्डी निरीक्षक, तेज कुमार, हरजीतसिंह तथा भगवान व अनिल अग्रवाल को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने तथा फरियादीगण जो कि एक लोक सेवक है तथा लोक सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहे थे, के कर्त्तव्य के निष्पादन में अभद्र व्यवहार कर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के आधार पर भादवि की धारा 294, 353, 506 भाग-दो का आरोप विरचित किया गया।

02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि फरियादी द्वारा दिनांक 27.07.2016 को राजीनामा पेश किये जाने के आधार पर अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 294, 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है और भा.द.वि. की धारा 353 पर निर्णय किया जा रहा है।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2015 को दिन के 2:30 बजे फरियादी महेन्द्रसिंह मंडलोई पिता सरदारसिंह मंडलोई, कृषि उपज मण्डी, अंजड़ वह आपने साथी किशनलाल शिन्दे निरीक्षक, अनिल भुरिया मण्डी निरीक्षक, तेज कुमार गुप्ता स.उ.नि., हरजीतसिंह भाटिया स.उ.नि.मण्डी, अनिल अग्रवाल स.उ.नि. मण्डी, लिपिक भगवान यादव के साथ कपास की घोष विक्रय का शासकीय कार्य कर रहे थे,

तभी संतोष देवड़ा, निवासी ग्राम हरीबड़ का कृषि मण्डी के परिसर में आया एवं उन्हें मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए बोला कि "तुम्हारे बाप की मण्डी है" कहकर उन सभी के साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी जिससे वे कपास की विक्रय नीलामी कार्य बंद करना पड़ा इस प्रकार संतोष देवड़ा ने उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया है, घटना की जानकारी ओ.पी.खेड़े सचिव कृषि मंडी अंजड़ को दी बाद में सभी साथियों के साथ थाने पर रिपोर्ट करने आया हूँ। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ में अपराध क्रमांक 250/2015 दर्ज कर, प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर, अभियुक्त को गिरफ्तार कर, विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त संतोष को भादवि की धारा 294, 353, 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। दप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त संतोष ने दिनांक 02.11.2015 को दिन में 2:30 बजे ग्राम कृषि उपज मण्डी, अंजड़ में फरियादीगण जो कि एक लोक सेवक है तथा लोक सेवक के नाते अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहे थे, के कर्त्तव्य के निष्पादन में अभद्र व्यवहार कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) पर सकारण निष्कर्ष —

06— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी महेन्द्रसिंह (अ. सा.-1) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है, दिनांक 02.11.2015 को दोपहर के समय वह सहायक उपनिरीक्षक मंडी के पद पर था तथा अपने साथी किशनलाल, अनिल, तेजकुमार, हरजीत, अनिल तथा लिपिक भगवान यादव के साथ कपास विक्रय नीलामी द्वारा कर रहा था, मंडी परिसर में किसानों द्वारा कपास के भाव को लेकर हंगामा किया था, हंगामा किन व्यक्तियों ने किया था वह उन्हें नहीं जानता है क्योंकि हंगामे उस दिन सैकड़ों बैलगाड़ियां वाहन आदि आए हुए थे तथा उनके साथ भी सैकड़ों किसान अपना माल लेकर मंडी में जमा हुए थे। उसने पुलिस को घटना की रिपोर्ट लिखाई थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने पुलिस को प्रदर्श पी 2 का घटना स्थल बताया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक पुश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि घटना वाले दिन उपस्थित अभियुक्त ने उसे कपास विक्रय करने से रोका तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा मंडी परिसर में उसके साथ शासकीय कार्य में बाधा डालने

की बात लिखवाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 3 के कथन में भी यह बात बतायी थी। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि वह राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

07— किशनलाल शिन्दे (अ.सा.2), अनिल भुरिया (अ.सा.3), तेजकुमार गुप्ता (अ.सा.4) तथा अनिल अग्रवाल (अ.सा.5) ने भी अभियुक्त द्वारा फरियादी को शासकीय कार्य में बाधा डालने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं, यहां तक कि साक्षियों का यह भी कथन है कि उन्होंने अभियुक्त को घटना स्थल पर नहीं देखा था उक्त सभी साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि अभियुक्त ने फरियादी के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी, यहां तक कि साक्षियों ने पुलिस को दिये गये कथन में भी उक्त बातें बताने से स्पष्ट इंकार किया है।

08— सुरेन्द्र कनेश (अ.सा.6) दिनांक 02.11.2015 को थाना अंजड़ में फरियादी महेन्द्र की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट दर्ज करने और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने यह भी कथन किये हैं कि घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 का बनाया था, उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा फरियादी का ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 9 का प्राप्त किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि फरियादी ने उसे अभियुक्त द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी अथवा उसने उसकी इच्छा अनुसार असत्य रूप से शासकीय कार्य में बाधा डालने वाली बात लेख की है।

09— ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा पेश किया है तथा फरियादी के चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, स्थान व समय पर अभियुक्त के उपस्थित होने या उसके द्वारा फरियादी के शासकीय कार्य में बाधा डालने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं तो साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, स्थान व समय पर फरियादी महेन्द्रसिंह जो कि एक लोक सेवक के शासकीय कार्य में बाधा डालने के आशय से उस पर अपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त संतोष पिता बद्री देवड़ा, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम हरिबड़, थाना अंजड़ को भा.द.वि. की धारा 353 के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।

10— अभियुक्त जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्त सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.**

**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.**